

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : एफ.1(ए)/104/पर्यवेक्षक/डीपीसी/2017-18/संस्था/बीमा/2018/


दिनांक :

आदेश 35

10 APR 2018

पर्यवेक्षक की वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 09.04.2018 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशांषा के आधार पर निम्नांकित सहायक प्रशासनिक अधिकारी को पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	अजा/ अजजा	पदनाम	रिक्ति की दिनांक	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1.	श्री रमेश चन्द्र माली		पर्यवेक्षक	01.04.2017	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
2.	श्री आसन दास मूलानी		पर्यवेक्षक	01.04.2017	सेवानिवृत्त 28.02.2018	-
3.	श्री मदन लाल देव	अजा	पर्यवेक्षक	01.09.2017	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
4.	श्री प्यारे लाल मीणा	अजजा	पर्यवेक्षक	01.04.2017	जयपुर शहर	जयपुर शहर
5.	श्री सुल्तान सिंह मीणा	अजजा	पर्यवेक्षक	01.04.2017	करौली	करौली
6.	श्री रामस्वरूप मीणा पुत्र श्री गोपीराम	अजजा	पर्यवेक्षक	01.04.2017	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
7.	श्री सुखजीराम मीणा	अजजा	पर्यवेक्षक	01.04.2017	जयपुर ग्रामीण	जयपुर ग्रामीण
8.	श्री रामस्वरूप मीणा पुत्र श्री गौरुराम	अजजा	पर्यवेक्षक	01.04.2017	बून्दी	बून्दी


 (भंवर लाल मेहरा)
 निदेशक,

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक : एफ.1(ए)/104/पर्यवेक्षक/डीपीसी/2017-18/संस्था/बीमा/2018/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

561-630 10 APR 2018

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
5. समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, संभागीय कार्यालय
6. सिस्टम्स एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को विभाग की वेब साइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें।
7. संयुक्त निदेशक (संस्थापन)/संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक/उप/सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला कार्यालय
9. सम्बन्धित कर्मचारी
10. केडर स्ट्रेन्थ लिपिक/वरिष्ठता निर्धारक लिपिक।
11. सम्बन्धित सेवा पुस्तिका लिपिक/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


 (किशनाराम ईशरवाल)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान, जयपुर।